

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान, खरगोन

क./सशिश/अका/मॉनिटर/2011/140

खरगोन, दिनांक 20-1-11

प्रति,

1. सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त),----- जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन।
2. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (समस्त), विकासखण्ड-----
3. विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (समस्त), विकासखण्ड-----
4. उपयंत्री (समस्त) विकासखण्ड.....
5. विकासखण्ड महिला समन्वयक (समस्त), विकासखण्ड-----
6. लेखापाल(समस्त), विकासखण्ड-----
7. जनशिक्षक (समस्त), जनशिक्षाकेन्द्र-----

विषय:—मॉनिटरिंग व्यवस्था संबंधी निर्देश।

विषयान्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के शाला से जिला स्तर तक सुचारु क्रियान्वन के लिए प्रत्येक स्तर पर त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग यथा भ्रमण, बैठक एवं डाटा विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हैं। अस्तु निम्नानुसार प्रणाली लागू की जाती हैं।

जिला स्तर पर :

सहायक परियोजना समन्वयक निम्नानुसार विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:—

क.	नाम	पद	आवंटित विकासखण्ड
1.	श्री अनिल वर्मा	APC(G)	गोगावा, नडवाह
2.	श्री राजेन्द्र राखोलिया	APC(A)	खरगोन, भगवानपुरा, सेगाँव
3.	श्री ए.के.भारद्वाज	APC(E & R)	झिरन्धा, भीकनगाँव,
4.	श्री देवदास पाटीदार	APC(C M)	कसरावद, महेश्वर

उक्तानुसार प्रभारी अधिकारी दक्षता संवर्धन में निर्धारित मॉनिटरिंग के अतिरिक्त अपने-अपने प्रभार के विकासखण्ड में नियमित रूप से सर्व शिक्षा अभियान की समस्त योजनाओं यथा दक्षता संवर्धन, शालाओं का नियमित संचालन, पठन-पाठन, एबीएल, एएलएम, निःशुल्क पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकिल वितरण, ब्रिज कोर्स का संचालन, छात्रावास का संचालन, वांछित जानकारियों की नियमित पोर्टल पर प्रविष्टि, विकासखण्ड एवं जनशिक्षाकेन्द्रों की बैठक का निर्धारित नियमित आयोजन, BAC एवं जनशिक्षक का निर्धारित नियमित शाला अवलोकन इत्यादि की मॉनिटरिंग विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के सहयोग से करेंगे। संबंधित विकासखण्ड स्रोत समन्वयक प्रभारी के निरन्तर संपर्क में रहकर आवश्यक सहयोग करेंगे तथा वांछित जानकारियों उपलब्ध करायेंगे।

जिला स्तर पर समस्त विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, अकादमिक समन्वयक प्रथम एवं उपयंत्री की बैठक प्रतिमाह के तृतीय गुरुवार को प्रातः 10-30 बजे कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता, में आयोजित की जायेगी। उक्त बैठक में निर्धारित प्रपत्रों में संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त जानकारी के साथ दोपहर 11-00 बजे कार्यालय में उपस्थित होंगे। अतः जन सुनवाई में प्रथम एवं तृतीय मंगलवार विकासखण्ड स्रोत समन्वयक तथा द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक उपस्थित रहेंगे।

विकासखण्ड स्तर पर :

समस्त विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक अपने प्रभार के जनशिक्षाकेन्द्रों की शालाओं के अवलोकन का कार्य निर्धारित टारगेट अनुसार संपन्न करेंगे। विकासखण्ड पर प्रत्येक विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक सप्ताह के निर्धारित दो दिवस जनपद शिक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहकर पोर्टल प्रविष्टि एवं अन्य कार्यालयीन कार्य सम्पन्न करेंगे। प्रथम विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक सोमवार, मंगलवार, कार्यालय में उपस्थित रहेगे जिसमें सोमवार को उनके आवंटित जनशिक्षा केन्द्रों से प्रथम जन शिक्षक एवं मंगलवार द्वितीय जनशिक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर पोर्टल पर मॉनीटरिंग की प्रविष्टि आदि का कार्य करेंगे, द्वितीय विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक बुधवार, गुरुवार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे जिसमें बुधवार को उनके आवंटित जनशिक्षा केन्द्रों से प्रथम जन शिक्षक एवं गुरुवार द्वितीय जनशिक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर पोर्टल पर मॉनीटरिंग की प्रविष्टि आदि का कार्य करेंगे, एवं तृतीय विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक शुक्रवार, शनिवार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे जिसमें शुक्रवार को उनके आवंटित जनशिक्षा केन्द्रों से प्रथम जन शिक्षक एवं शनिवार द्वितीय जनशिक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर पोर्टल पर मॉनीटरिंग की प्रविष्टि आदि का कार्य करेंगे। शेष पाँच दिवसों में प्रत्येक जनशिक्षक प्रतिदिन दो शाला के मान से सप्ताह में 10 शालाओं का अवलोकन पूर्व में प्रदाय किये गये 20 मॉनीटरिंग बिन्दुओं के अनुसार करेंगे।

जिले के प्रभारी अधिकारी, विकासखण्डों पर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं विकासखंड महिला समन्वयक आवासीय ब्रिज कोर्स, बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रतिमाह 2 बार मॉनीटरिंग करेंगे।
लेखापाल द्वारा मानीटरिंग

लेखापाल अपने विकासखंड अंतर्गत प्रतिमाह न्यूनतम पांच जनशिक्षाकेन्द्रों, बालिका छात्रावासों तथा आवासीय ब्रिज कोर्सों के लेखा संबंधी रिकार्ड का अवलोकन कर व्यवधित संधारण कारावेंगे तथा प्रतिवेदन, मासिक आय-व्यय पत्रक तथा बैंक रिकॉसिलेसन प्रति माह की 6 तारीख को जिला कार्यालय को भेजेंगे।

उपयंत्री समस्त निर्माण कार्यों का अवलोकन कर निर्धारित बँठकों में प्रगति प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।
विकासखण्ड पर जनशिक्षकों की बैठक निम्नानुसार आयोजित होगी :-

क्रमांक	विकासखण्ड	बैठक की दिनांक
1.	खरगोन, कसरावद, भीकनगाँव, सेगाँव, गोगाँव,	02 प्रतिमाह
2.	भगवानपुरा, बड़वाह, झिरन्या महेश्वर	03 प्रतिमाह

जिलास्तर से सभी प्रभारी अधिकारी आवंटित विकासखण्डों की बैठकों में उपस्थित रहकर समीक्षा करेंगे।

विकासखंड स्त्रोत समन्वयक प्रत्येक माह की 6 तारीख को उस माह का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं गत माह का यात्रा देयक प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार BAC भी अपने-अपने भ्रमण कार्यक्रम एवं यात्रा देयक विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को प्रस्तुत कर अनुमोदन करावेंगे।

विकासखंड स्तरपर अकादमिक समन्वयक प्रथम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, अकादमिक समन्वयक द्वितीय निःशुल्क गणवेश व साईकल तथा अकादमिक समन्वयक तृतीय निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति के आवंटन एवं वितरण की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करावेंगे।

जनशिक्षाकेन्द्र स्तर पर :

जन शिक्षक एक दिवस में अधिकतम दो शालाओं में अवलोकन कर दक्षता संवर्धन अंतर्गत समूह निर्माण, नियमित टेस्ट, उत्तरपुस्तिकाओं की सही जाँच एवं तदनुसार अभिलेखीकरण, बच्चों का दक्षता स्तर का कौस परीक्षण, शालाओं का नियमित संचालन, कालखण्ड अनुसार पठन-पाठन, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास कार्य एवं जाँच, गृहकार्य एवं जाँच, एबीएल, एएलएम, शाला पुस्तकालय, निःशुल्क पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकिल वितरण, मध्यान्ह भोजन का अवलोकन कर शाला की अवलोकन पंजी में टीप लिखेंगे। माह में प्रत्येक शाला का इस प्रकार कम से कम दो बार अवलोकन करेंगे। द्वितीय अवलोकन में पूर्व अवलोकन के सुझावों/कमियों का परिपालन अवश्य देखेंगे।

जनशिक्षाकेन्द्र पर समस्त प्रावि, मावि के प्रधानपाठकों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह बैठक पूर्व निर्देशानुसार प्रतिमाह आधी-आधी शालाओं की निर्धारित उपकेन्द्र/स्रोत केन्द्र पर दिनांक 27 एवं 28 को होगी। प्रतिमाह जनशिक्षक अपना प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम, वास्तविक भ्रमण कार्यक्रम, अवलोकन पत्रक एवं यात्रादेयक जनशिक्षाप्रभारी से अग्रोषित कराकर विकासखण्ड की बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली मॉनीटरिंग की रेण्डम चैकिंग की व्यवस्था भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार कार्यवाही कर व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत करावें।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन

खरगोन, दिनांक 20-1-12

पू.क./सशिअ/अका/मॉनिट/2011/141

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
2. अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन।
4. जिला परियोजना संचालक, जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, खरगोन।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-खरगोन।
7. प्राचार्य, डाइट, खरगोन।
8. श्री रमेश पटोदा, जिला प्रभारी, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
9. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त), विकासखण्ड-----

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन